ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977

(1977 का अधिनियम संख्यांक 42)

[20 दिसम्बर, 1977]

रेलों की और इंजीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, रेलों, तथा इन्जीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों द्वारा अपेक्षित चल स्टाक जैसे निर्वात ब्रेक उपस्करों, उत्क्षेपकों, वाष्प ब्रेक वाल्वों और निर्वात निष्कासकों और इसी प्रकार के अन्य संघटकों के विनिर्माण और उत्पादन में लगी हुई थी ;

और कम्पनी को हानि होने के फलस्वरूप कम्पनी के स्वामित्वाधीन संकर्म बन्द हो गए थे ;

और कम्पनी के बन्द संकर्मों को शीघ्र परिचालित करने के प्रयोजन के लिए कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन सीमित अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और यह आवश्यक है कि रेलों की और इन्जीनियरी उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल के उत्पादन का जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन किया जाए ;

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977 है ।

(2) इस अधिनियम की धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध 30 सितम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और शेष उपबन्ध 1 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 अगस्त, 1977 अभिप्रेत है ;

(ख) "ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड" से ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड नामक वह सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है जिसमें, ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रम, तथा उनमें उक्त कम्पनी के अधिकार, हक और हित, ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 96) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का॰ आ॰ 771 (ई), तारीख 3 दिसम्बर, 1976 के अनुसरण में, 1 दिसम्बर, 1976 से निहित हो गए हैं ;

(ग) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय-आयुक्त अभिप्रेत है ;

(घ) "कम्पनी" से ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 22–गोब्रा रोड़, कलकत्ता-14 में है ;

(ङ) "सरकारी कम्पनी" का वही अर्थ है, जो उसका कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "अध्यादेश" से ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 14) अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. कम्पनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उनका उसमें निहित होना—नियत दिन को कंपनी के उपक्रम और उसके उपक्रमों के सम्बन्ध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कम्पनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, भण्डार, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ-नकदी, आरक्षित निधि, विनिधान तथा बही-ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और तत्सम्बन्धी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय की ऐसी कोई कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को, जो ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करे, या ऐसी सभी संपत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) ऐसी किसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 9 के अधीन अवधारित धनों में से भी, बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) यदि नियत दिन को, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित है तो कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी का जिम्मेदार न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम, धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न किसी मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है, वहां सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के नियत दिन के पूर्व किए गए उल्लंघन के लिए कम्पनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है, वहां सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कम्पनी के उपक्रमों का ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित होना—(1) धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार, यथाशक्यशीघ्र, अधिसूचना द्वारा, निदेश देगी कि कम्पनी के उपक्रम और उपक्रमों के सम्बन्ध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो), जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित हो जाते हैं, वहां ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

7. कंपनी के उपक्रमों को सरकारी कंपनी में निहित करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3, 4 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कंपनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है, तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के उपक्रम और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में और उसके पश्चात् धारा 6 के अधीन ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित हो गए हैं, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो) जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं, वहां वह सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कंपनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

8. रकम का संदाय—कंपनी के उपक्रमों और उसके उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए, केन्द्रीय सरकार कम्पनी को एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, देगी ।

9. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार कंपनी को, उसके उपक्रमों के प्रबंध से उसे वंचित किए जाने के लिए, पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम उस तारीख से प्रारम्भ होकर, जिसको कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देगी ।

(2) धारा 3, 4 और 5 के उपबन्धों के भूतलक्षी प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार कंपनी को पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम के बराबर रकम भी, नियत दिन से प्रारम्भ होकर और उस तारीख को, जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद देगी ।

(3) धारा 8 में निर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) और (2) के अधीन अवधारित रकम पर, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम कम्पनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी के उसके उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, दायित्वों का निर्वहन धारा 8 में निर्दिष्ट रकम से और उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन अवधारित रकम से भी, कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि

10. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि—(1) ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, जिसमें धारा 6 के अधीन कंपनी के उपक्रम और ऐसे उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित निहित हो गए हैं, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों को करने के लिए कंपनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

(2) कंपनी के ऐसे उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में और धारा 6 के अधीन ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां, उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा और तब इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों को करने के लिए कंपनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

11. कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने के ठीक पहले ऐसी कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड को ऐसी कंपनी के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियां, लेखाबहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज, जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड भी, यदि वह चाहे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबंध के दौरान उद्भूत हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकती है ।

(3) कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध सरकारी कंपनी में निहित हो जाने पर उपधारा (1) और (2) के उपबंध सरकारी कंपनी को, और उसके संबंध में, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड को और उसके संबंध में लागू होंगे किन्तु, इस उपांतरण के साथ कि ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सरकारी कंपनी के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

12. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है, यथास्थिति, नियत दिन से या ऐसी बाद की तारीख से ही, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी का, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित निहित हो गए हैं, कर्मचारी हो जाएगा और, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी में पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां सेवा की किसी संविदा के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाती हैं, वेतन या मजदूरी के किन्हीं बकायों का या न ली गई किसी छुट्टी के लिए किसी संदाय का या किसी ऐसे संदाय का, जो उपदान या पेंशन के तौर पर संदाय नहीं है, हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति अपना दावा कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकेगा, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी के विरुद्ध नहीं ।

13. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने, कम्पनी के उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां, ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्तरित हो गई है, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के सम्बन्ध में, जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाती हैं, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी ऐसी रीति से कार्रवाई करेगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 और 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदान की गई हैं, प्राधिकार के रूप में नहीं हुई हैं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) कंपनी को संदाय करने के लिए केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, आयुक्त को निम्नलिखित रकम नकद देगी :—

(क) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम, और

(ख) धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकम ।

(2) केन्द्रीय सरकार, भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त की गई प्रत्येक रकम उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

16. केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा कोई धन जो कंपनी को उसके उन उपक्रमों के सम्बन्ध में शोध्य है जो केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में दावा कर सकेगी, जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कंपनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा नियत दिन के पश्चात् किया गया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उस पूर्विकताक्रम के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी ने किया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कंपनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व निर्वहन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

17. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

18. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे, समान पंक्ति के होंगे और पूर्णतः संदत्त किए जाएंगे किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे आनुपातिक रूप में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार संदत्त किए जाएं ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

19. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 17 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उसी पूर्विकता-क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दायित्वों की परीक्षा करे ।

20. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में बताई गई पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त ऐसी कोई निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा अन्यथा उसे आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण के फायदे से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत आयुक्त के समक्ष विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो और कम्पनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं, जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायायल में कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय को होगी और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

21. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त की जाएगी जिसे या जिन्हें ऐसी धनराशियां शोध्य हैं और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

22. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसे संदत्त धन में से, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त उस अतिशेष का संवितरण ऐसी कम्पनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी में निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति उस कम्पनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी या उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर बनाए रखे, जिनके अधीन वे नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थीं ।

23. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस अन्तिम दिन से जिस दिन संवितरण किया गया था, तीन वर्ष की अवधि तक असंवितरित या दावा न किया गया रहता है, आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय लिए आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश समझा जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

25. केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—(1) कम्पनी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् से ही प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक कि ऐसी संविदा, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी अनुसमर्थित नहीं कर देती और केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तर तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी के लिए अहितकर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता और संविदा के अनुसमर्थन से इंकार करके या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को लेखबद्ध नहीं कर दिया जाता है ।

26. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी के या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कंपनी के या उस सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी के या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के, विरुद्ध न होगी ।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य, धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति से भिन्न, सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसे ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाता है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

28. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा या ऐसे उपक्रम से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा अथवा कम्पनी के उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(ग) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

29. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन का उपयोग किया जाएगा ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जब इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

32. राज्य की नीति के बारे में घोषणा—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में उल्लिखित तत्त्वों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "राज्य" का वही अर्थ है जो उसका संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।

33. निरसन और व्यावृत्ति—(1) ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1977 (1977 का 14) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 18, 19, 20 और 22 देखिए]

कम्पनी के दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्विकताओं का क्रम

भाग 'क'

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि

प्रवर्ग I

कम्पनी के कर्मचारियों की मजदूरियां, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग II

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार ।

(ii) बैंक द्वारा दिए गए उधार ।

प्रवर्ग III

व्यापार या निर्माण संक्रियाएं करने के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा लिया गया कोई ऋण ।

प्रवर्ग IV

कोई अन्य उधार ।

प्रवर्ग V

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य कोई रकमें ।

भाग 'ख'

प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि

प्रवर्ग VI

कंपनी के कर्मचारियों के भविष्य निधि, वेतन और मजदूरी और उन्हें शोध्य किन्हीं अन्य रकमों के संबंध में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अभिदायों की बकाया ।

प्रवर्ग VIII

बैंकों से ओवरड्राफ्ट ।

प्रवर्ग VII

केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य विद्युत बोर्ड को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या कोई अन्य रकम ।

प्रवर्ग IX

(क) कंपनी द्वारा व्यापार या निर्माण संक्रियाएं करने के प्रयोजनार्थ लिया गया कोई ऋण ।

(ख) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

———